



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन 14-भीकाजी कामा प्लेस| नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan. 14- Bhikaiji Cama Place. New Delhi - 110066
www.epfindia.com, www.epfindia.gov.in



संख्या: HRD/4/2019/DA

दिनांक: 29.04.2020

सेवा में,

सभो अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (स्थानीय प्रशासन)
निदेशक, प.दी.रा.सा.सु.अ. (PDNASS)

विषय: Freezing of Dearness Allowance to Central Government Employees and Dearness Relief to Central Government Pensioners at Current Rates till July, 2021- regarding.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से जारी कार्यालय ज्ञापन No.1/1/2020-E.II (B) दिनांक 23.04.2020 की प्रति उचित कार्यवाही / लागू करने हेतु सलंगन है।

प्रति : सलंगन

भवदीय,

(नवीन जुनेजा)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.डी)

प्रतिलिपि:

- 1- केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
- 2- सभी EC / CBT सदस्य
- 3- वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के प्रधान निजी सचिव
- 4- मुख्य सतकर्ता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव / सभी उप निदेशक, सतकर्ता
- 5- मुख्य अभियंता के निजी सचिव
- 6- प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
- 7- सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
- 8- मुख्यालय के सभी अधिकारी / सभी निजी सचिव / सभी अनुभाग अधिकारी
- 9- महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. स्टाफ फेडरेशन
- 10- महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. एम्प्लाइज संघ
- 11- महासचिव, ई.पी.एफ. ऑफिसर्स एसोसिएशन
- 12- महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. एस.सी/एस.टी फेडरेशन
- 13- क्षे.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 14- गार्ड फाइल

(नवीन जुनेजा)

North Block, New Delhi
Dated the 23rd April, 2020.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Freezing of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners at current rates till July 2021.

The undersigned is directed to say that in view of the crisis arising out of COVID-19, it has been decided that the additional installment of Dearness Allowance payable to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners, due from 1st January 2020 shall not be paid. The additional installments of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2020 and 1st January 2021 shall also not be paid. However, Dearness Allowance and Dearness Relief at current rates will continue to be paid.

2. As and when the decision to release the future installment of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2021 is taken by the Government, the rates of Dearness Allowance and Dearness Relief as effective from 1st January 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1st July 2021. No arrears for the period from 1st January 2020 till 30th June 2021 shall be paid.

3 These orders shall be applicable to all Central Government employees and Central Government pensioners.



(Annie George Mathew)

Additional Secretary to the Government of India

To

- (i) All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
- (ii) Ministry of Railways
- (iii) Ministry of Defence

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

फा.सं. 1/1/2020-ई-II (बी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 23 अप्रैल, 2020


कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।

2. जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

3. ये आदेश सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।



(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
- (ii) रेल मंत्रालय
- (iii) रक्षा मंत्रालय

प्रतिलिपि: सीएंडएजी, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।